बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 164464 पटना, दिनांक 25/09/2013

ग्रा.वि.अनु.को.- 70/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **राज्य में सुखाड़ के स्थिति के मद्देनजर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के समुचित अवसर सृजन करने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में वर्षापात की कमी के कारण सुखाड़ घोषित किया गया है । सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण आबादी का पलायन न हो ।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में अप्रैल के अगस्त माह में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा करने से यह ज्ञात हो रहा है कि राज्य की एक ग्राम पंचायत में औसतन रूप से प्रतिदिन 24 मजदूरों को रोजगार दिया गया है । यह औसत दिनांक 19.09.13 को 23 हो गया है जबकि सामान्यत: प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 से 300 परिवार ऐसे हैं जो कृषि मजदूरी पर आश्रित रहते हैं ।

3. इसे दृष्टिपथ रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर नए काम खोले जाएं ताकि सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर उत्पन्न हुई अतिरिक्त मॉग के अनुरूप ग्रामीणों को समुचित रोजगार मिल सके । एक अनुमान के तौर पर राज्य के औसत ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन लगभग 100 मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए ।

4. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनिश्चित करें कि उनके जिले के सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत मॉग के अनुरूप तत्परता से रोजगार दिया जा रहा है तथा किसी भी परिवार को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़े ।

5. सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा के क्रम में इस बिन्दु पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी ।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार